

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-8)

बैठक स्थगन सूचना

क्रमांक एफ 4(21)ग्रावि/ग्रुप-8/2015

जयपुर, दिनांक 20.06.2014

- 1 मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
जिला परिषद  
समस्त, (राजस्थान)।
- 2 अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
जिला परिषद  
समस्त, (राजस्थान)।

विषय :- दिनांक 20.06.2016 को आयोजित होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंस स्थगित किये जाने के क्रम में।

संदर्भ :- इस अनुभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 17.06.2016

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार निवेदन है कि ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा हेतु प्रमुख शासन सचिव महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 20.06.2016 को जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंस अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है। सूचनार्थ प्रेषित है।

भवदीय  
परि. निदे. एवं उप सचिव  
(मो. एवं मू.)  
27/6/16

प्रतिलिपि:-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- 2 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- 3 निजी सचिव, शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग।
- 4 निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग।
- 5 निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
- 6 निजी सचिव, आयुक्त, जलग्रहण एवं भू-संरक्षण विभाग।
- 7 अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन-2), पंचायती राज विभाग।
- 8 निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण।
- 9 निदेशक(सीसीडीयू), पंचायती राज विभाग।
- 10 संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन) ग्रामीण विकास/पंचायती राज विभाग।
- 11 संयुक्त शासन सचिव, जिला आयोजना, पंचायती राज विभाग।
- 12 निम्न समस्त योजना प्रभारियों, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को भेजकर लेख है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस में आपकी योजना/विभाग को आवंटित समय पर अद्यतन सूचनाओं के साथ भाग लेना सुनिश्चित करें।
  - i. वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास/महानरेगा/पंचायती राज विभाग।
  - ii. परि. निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस./एसएपी-एसएस/(मो. एवं मू.), ग्रामीण विकास विभाग।
  - iii. अति. मुख्य अभियन्ता एवं परि. निदे. एवं उप सचिव, एसएपी-सीएसएस, ग्रामीण विकास विभाग।
  - iv. अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास/महानरेगा (श्री योजना)।
  - v. अधीक्षण अभियन्ता, प्रोजेक्ट/स्वच्छता, पंचायती राज विभाग।
  - vi. संयुक्त निदेशक, मॉनिटरिंग, पंचायती राज विभाग।
  - vii. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को पत्र विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

परि. निदे. एवं उप सचिव  
(मो. एवं मू.)  
27/6/16